उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1
संख्या-26/2016/1575/92-1-2016-141सीडब्लू/2015,
लखनऊ: दिनांक: 27 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रियाज अली, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अपने कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष योजित निर्देश याचिका संख्या-2150/1995 रियाज अली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को मा0 अधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये दिनांक 06-02-1997 को निर्णय/आदेश पारित किया गया, जिसका संगत व क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

"The Claim petition is allowed. The opposite parties are directed to prepare a fresh seniority list regarding the petitioner reckoning his seniority from the date of appointment like other 51 Assistant Engineers and 20 Assistant Engineers were regularized later on with retrospective effect and thereafter, after placing the petitioner at proper place, they are to consider and promote the petitioner on the post of Executive Engineer w.e.f. 28.1.95, when juniors than him were promoted on the basis of regularization granted to him, with retrospective effect. Till then, the petitioner shall not be displaced from the charge of the Executive Engineer (R.E.S.)till, he is considered for promotion according to his seniority, as dertermined in the aforesaid manner and he is considered for promotion, as aforesaid. Cost is made easy. Let the judgment be complied with within three months from the date of its receipt."

2- मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 06-02-1997 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या-1100(एस0एस0)/1998 उ0प्र0 राज्य बनाम रियाज अली योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये दिनांक 15-07-2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28-07-2015 को निर्णय/आदेश पारित किया गया, जिसका संगत एवं क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

"In view of the law laid down by Hon'ble Supreme Court in the case of Secretary, Minor Irrigation Department RES (Supra), we do not find any force in the submission made by learned standing counsel for the state-petitioner. Accordingly, the writ petition being devoid of merit is hereby dismissed.

Since, the petition is pending before this Court since 1998, we hereby direct the State to ensure compliance of the judgment and order dated 6.2.1997 passed by learned Public Services Tribunal in Claim petition No.2150 of 1995 (Riyaz Ali Vs. State of U.P. and Anr.) within a period of three months from the date a certified copy of this judgment is produced before the competent authority."

3- यह उल्लेखनीय है कि याची श्री रियाज अली,अधिशासी अभियंता द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 06-02-1997 के अनुसार अपने कनिष्ठ की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28-01-95 से अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति किये जाने एवं तत्पश्चात अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु मा0 अधिकरण के समक्ष एक अन्य निर्देश याचिका सं0-28/2014 योजित की गयी, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 05-02-2014 को निर्णय/आदेश पारित किये गये, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

" Coming to the balance of convenience we have to see that four vacancies are to be filled up against which 12 candidates will be in the eligibility list. The name of the petitioner is at serial no. 5 and as held above the petitioner has put in service as Executive Engineer since 1997. Hence his balance of convenience will be disturbed if he is overlooked from consideration for promotion to the post of Superintending Engineer. It is the petitioner who is suffering irreparable injury. We are therefore inclined to allow the interim prayer of the petitioner by passing the following order:-

The O.Ps. are directed to include the name of the petitioner in the eligibility list of selection for promotion to the post of Superintending Engineer being made against four vacancies and to get his case considered for the same post. "

याची द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के उक्त निर्णय दिनांक 05-02-2014 का अनुपालन कराये जाने हेतु मा0 अधिकरण में अवमानना याचिका संख्या-521/2015 रियाज अली बनाम डा0 प्रभात कुमार, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 26-04-2016 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

"Sri Jai Kumar Ld. P.O. on instructions submits that D.P.C. is to be held on 29.4.16 . The petitioner's case is to be considered by the D.P.C. on 29.4.16. Hence list the matter on 06.5.2016 for filing affidavit of compliance failing which O.P. No.2 will appear in person.

A copy of this order will be given to Sri Jai Kumar Ld. P.O. free of charge."

4- रिट याचिका संख्या-1100(एस0एस0)/1998 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-7-2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28-7-2015 का अनुपालन कराये जाने हेतु याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में अवमानना याचिका सं0-2395(सी)/2015 रियाज अली बनाम डा0 प्रभात कुमार, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-04-2016 को पारित आदेश निम्नांकित है :-

"In terms of earlier order, learned Standing Counsel has sought instructions, according to which the matter relating to promotion of the petitioner on the post of Executive Engineer has to be dated back but the said process is likely to take sometime. He has further stated that on 29th April, 2016 the departmental promotion committee is scheduled to consider promotion on the post of Superintending Engineer. In case the petitioner's promotion is not dated back, he will not fulfill the eligibility condition of having completed six years service on the post of Executive Engineer for the purpose of promotion to the post of Superintending Engineer. The petitioner's right to be considered for promotion on the post of Executive Engineer with effect from 28.01.1995 has been protected by the judgement and order dated 15.07.2015 passed by this Court in Writ Petition No. 1100 (S/B) of 1998 wherein three months time was granted to the State Government to comply with the said directions.

However, on one hand the directions given by this Court have not been complied with and obeyed and on the other hand, if the meeting of Departmental Promotion Committee for the post of Superintending Engineer is held on 29.04.2016, right of the petitioner will further be frustrated.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

It is the duty of the State authorities not only to comply with the directions or orders issued by this Court but also to safeguard the legitimate interests of its own employee.

It has been stated by learned Standing Counsel that at present in the department there is no Secretary available.

In these circumstances, let complete instructions be sought by learned Standing Counsel from the senior most Special Secretary in the department."

उक्त अवमानना याचिका संख्या-2395(सी)/2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 29-04-2016 को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये, जो आदेश पारित किये गये, उसका विवरण निम्नवत है :-

"It has been informed by learned Standing Counsel that the Departmental Promotion Committee which is scheduled to meet on 29.05.2016 has been deferred on account of an order passed on 28.04.2016 in Writ A No. 18925 by this Court at Allahabad.

In respect of back dating of promotion of the petitioner on the post of Executive Engineer, learned Standing Counsel informs that review Departmental Promotion Committee will be held on 06.05.2016.

In view of the aforesaid statement made by the learned Standing Counsel on the basis of instructions received from the Special Secretary in the department of Rural Engineering, nothing needs to be pursued any further in this contempt petition, which is hereby dismissed.

Notices issued earlier, if any, shall stand discharged. "

5- याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15-7-2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28-7-2015 का अनुपालन न हो पाने की स्थिति में मूल अवमानना याचिका संख्या-2395(सी)/2015 में रि-काल अप्लीकेशन दाखिल किया गया, जो अवमानना याचिका संख्या-964/2016 रियाज अली बनाम डा0 प्रभात कुमार, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य के रूप में परिवर्तित हुई। उक्त नवीन अवमानना याचिका में दिनांक 18-5-2016 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किये गये :-

" This is an application seeking impleadment of new incumbent who has recently joined on the post of Principal Secretary, Rural Engineering Department, Government of U.P., Lucknow.

The application is allowed.

Let necessary amendment be made within a week.

On the basis of instructions received from the Special Secretary in the department of Rural Engineering, it has been informed by the learned Standing Counsel that Departmental Promotion Committee to consider the case of the petitioner for promotion from the post of Assistant Engineer to Executive Engineer is scheduled to be held on 24.05.2016.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Accordingly, list this case on 30.05.2016, on which date, an affidavit shall be filed which will be sworn in by the newly appointed Principal Secretary in the department of Rural Engineering, Government of U.P.,Lucknow. "

6- मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण एवं मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त् निर्णयों/आदेशों के अनुपालन में श्री रियाज अली, अधिशासी अभियंता को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री शिवलाल की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति की तिथि 28-01-1995 से अधिशासी अभियंता के पद पर नोशनल पदोन्नति के सम्बन्ध में विचारण हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 24-05-2016 को सम्पन्न हुई।

7- निर्देश याचिका संख्या-2150/1995 रियाज अली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 अधिकरण के निर्णय दिनांक 06-02-1997 एवं मा0 अधिकरण के उक्त् निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1100(एस0एस0)/1998 उ0प्र0 राज्य बनाम रियाज अली में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-07-2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28-07-2015 के अनुपालन में आहूत उक्त विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री रियाज अली, अधिशासी अभियंता को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री शिवलाल की अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति की तिथि 28-01-1995 से अधिशासी अभियंता के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री रियाज अली की उक्त् नोशनल पदोन्नति मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण/ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त् निर्णयों/आदेशों के अधीन की गयी है। इस आदेश को दृष्टांत के रूप में नहीं माना जायेगा।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2016/1575/92-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री रियाज अली, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।